न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

संख्याः— 11/2023

गंगाबाई पत्नी रामलाल भील निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
वादीया

बनाम

तेजराम पिता रामलाल जाति भील निवासी जालमपुरा तह0 बेगूँ
प्रतिवादी

उपस्थित :— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक :—23.06.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम डोबिया पटवार हल्का धामंचा तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 113मी रकबा 2.1900 हैक्टर एवं आराजी संख्या 142/113 रकबा 0.6500 हैक्टर योग कीता— 2 कुल रकबा 2.8400 हैक्टर भूमि वादी के तन्हा स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की स्थित है, जिसमें वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल नही है। वर्णित आराजीयात में वादी के स्वामित्व आधिपत्य की हो चारो तरफ पत्थर कोट निर्मित हैं। इस प्रकार उक्त भूमि वादी के निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस आराजी पर किसी भी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार का हक हित निहित नहीं रहा है एवं न ही आज हैं।

यह कि प्रतिवादी जो वादिया का निकट रिश्तेदार है वादी की उक्त आराजी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है एवं आये दिन वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हुए झगडे करता रहता है, वादी को उक्त आराजी के उपभोग करने से रोकता है जबकि वादी की खातेदारी की उक्त भूमि में प्रतिवादी को किसी प्रकार का दखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

यह कि प्रतिवादी ने दिनांक 18.10.2022 को वादी को धमकी दी कि मै तुम्हारी उक्त भूमि पर कब्जा करूंगा एवं इस जमीन मे तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे काम में दखल मत करना वरना जान से मार दूंगा। वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व में भी थाना बेगूँ में रिपोर्ट दी थी। दिनांक 18.10.2022 को प्रतिवादी व उसके साथियो ने फिर धमकी दी कि हम उक्त भूमि पर कब्जा करके रहें एवं यदि हमे रोका तो जान से मार देगें।

यह कि वादी को प्रतिवादी द्वारा दी जा रही धमकी अनुसार यदि वह वादी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि मे प्रवेश हो अतिक्रमण करता है या वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करता है तो वादी के विधिक अधिकार खते में पड जायेगें एवं वादी को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी इसी कारण वादी को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 18.10.2022 को एवं उसके बाद लगातार वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने एवं मरने मारने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करती हैः—

(क) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि प्रतिवादी वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम डोबिया की आराजी संख्या 113मी एवं 142/113 योग किता 2 कुल रकबा 2.8400 हैक्टर भूमि मे न तो स्वयं प्रवेश करे एवं न ही कोई नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि ही प्रवेश करें एवं न ही करावे न ही वादी की उक्त भूमि के वादी व उसके परिवार के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

वादीया वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किया गया, किन्तु प्रतिवादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। वादपत्र में एक तरफा साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादीया गंगाबाई के प्रस्तुत किये जिन्होने मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्तु किये गये दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए साक्ष्य वादीया की पूर्ण की। पत्रावली में वादीया की साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार करते हुए कहा कि मै अपने पिता की ईकलौती संतान हूँ एवं खातेदार हूँ वर्णित कृपि आराजीयात जो कि मेरे खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसमें प्रतिवादी जबरन दखलंदाजी करना चाहते है तथा धमकियां देते है। इस सम्बन्ध में पर्वू में प्रतिवादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया हुआ है। अतः निवेदन है कि वादीया वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वादपत्र की एक तरफा बहस अधिवक्ता वादीया की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमावंदी प्रदर्श– 1 का अवलोकन किया गया, वादीया मौजा डोबिया प0ह0धामंचा की आराजी संख्या 113मी एवं 142/113 योग किता 2 कुल रकवा 2.8400 हैक्टर भूमि की खातेदार है। प्रतिवादी न्यायालय मे बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये है तथा प्रतिवादी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, वादीया के खातेदारी अधिकार की भूमि में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। चूंकि वादीया उक्त वर्णित कृपि आराजीयात की खातेदार एवं कब्जेदार है, जिन्हें अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी को पावन्द कराने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्राप्त है। वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी तेजराम पिता रामलाल भील निवासी जालमपुरा को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे वादीया के खातेदारी की कृपि आराजी मौजा डोबिया प0ह0धामंचा की आराजी संख्या 113मी एवं 142/113 योग किता 2 कुल रकवा 2.8400 हैक्टर भूमि मे न तो स्वयं प्रवेश करे एवं न ही कोई नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से ही प्रवेश करें एवं न ही करावे न ही वादी की उक्त भूमि के वादी व उसके परिवार के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या:– 11 / 2023

गंगाबाई पत्नी रामलाल भील निवासी धामंदा तह0 बेगूं
वादीया

बनाम

तेजराम पिता रामलाल जाति भील निवासी जालमपुरा तह0 बेगूं
प्रतिवादी

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 188 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ..... की अनुपस्थिती में वाद अधा. 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 23.062025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी तेजराम पिता रामलाल भील निवासी जालमपुरा को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे वादीया के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा डोबिया प0ह0धामंचा की आराजी संख्या 113मी एवं 142 / 113 योग किता 2 कुल रकबा 2.8400 हैक्टर भूमि मे न तो स्वयं प्रवेश करे एवं न ही कोई नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से ही प्रवेश करें एवं न ही करावे न ही वादी की उक्त भूमि के वादी व उसके परिवार के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)